

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

जनपद— आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, संतकबीर नगर, संतरविदास नगर, शाहजहांपुर, श्रवस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / CH/NRC / 18-4 / 2018-19 / 6891-79 दिनांक 25/09/2018

विषय—जनपद / मेडिकल कालेज / सी०एच०सी०, स्तर पर पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु

जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि इस कार्यालय के पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / CH/NRC / 18-4 / 2017-18 / 5042-70, दिनांक 21/08/2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं। तदनुसार इकाईयों का संचालन किया जाना है।

वर्ष 2018-19 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन हेतु वित्त अनुभाग, एस०पी०एम०य०० से जारी पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / एन०एच०एम० / आपरेशनल गाईडलाइन / 2017-18 / 282 / 1041-2, दिनांक 08.05.2018 एवं पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / एन०एच०एम० / आपरेशनल गाईडलाइन / 2017-18 / 282 / 3344-2, दिनांक 03.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवितंत की गयी है। इसी क्रम में बाल स्वास्थ्य अनुभाग से जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / CH/NRC / 18-4 / 2017-18 / 1779-71, दिनांक 28.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से 01 नवीन एन०आर०सी० के लिये 02 माह (अप्रैल 2018 से मई 2018) की धनराशि तथा पूर्व से क्रियाशील 77 पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के लिये आपरेशनल कास्ट, आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं संविदा/आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु विभिन्न मदों 04 माह (अप्रैल 2018 से जुलाई 2018) की धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार स्वीकृत की जा चुकी है।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० के विभिन्न मदों में जनपदों/मेडिकल कालेजों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रियाशील की जा रही इकाईयों के संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं संविदा/आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु स्वीकृत धनराशि की सामा तक व्यय किया जाना है। उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

01— ऑपरेशनल कास्ट—

- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० के New FMR Code-1.3.1.4 and old FMR Code-A.2.5 पर ऑपरेशनल कास्ट मद में पोषण पुनर्वास केन्द्र को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने हेतु औषधियों (चिकित्सालय में नियमित रूप से उपलब्ध औषधियों

इलाज के लिये उपलब्ध करायी जायेगी तथा एनोआरोसी० प्रोटोकाल के अनुसार यदि कोई औषधि उपलब्ध नहीं है तो नोडल अधिकारी की सलाह से आवश्यकतानुसार औषधि का क्रय किया जाये।

- मेडिकल कालेज के नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि EDL में उपलब्ध एनोआरोसी हेतु आवश्यक दवाओं की लिस्ट सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समय से उपलब्ध करायें। मेडिकल कॉलेजों को EDL के अन्तर्गत उपलब्ध दवाईयाँ एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को मेडिकल कालेजों में संचालित इकाइयों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आरोसी०एच०)/नोडल अधिकारी की होगी।
- कन्स्यूमेबल, भर्ती बच्चे के लिये आहार, मॉ/अभिभावक के लिये दैनिक भत्ता, कन्टीजेन्सी, उपकरणों के रखरखाव / मरम्मत आदि एवं बच्चे के फॉलोअप आदि का वहन तालिका-१ में दिये गये मानक के अनुसार व्यय किया जायेगा। ऑपरेशनल कास्ट मद हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

S. N.	Budget for NRCs (2018-19)	तालिका-१
	Item	
A Operational Cost (COST OF TREATING 20 CHILDREN PER MONTH)		
1 Food for children @ Rs. 75 per child/day		
2	Daily wage compensation Rs. 50 per day and Rs. 50 for caregiver's food per caregiver/day	
3	Contingency – Gas cylinder, Linen cleaning (Laundry) Phenyl, Soap, Mosquito repellent, Washing powder, etc @ Rs. 2000/month.	
4	Maintenance of equipments (based on actual expenditure)and/or Purchase of new Weighing Scale/Infantometer or other ward equipments (only if non-functional or non-repairable and with the consent of the state) (Rs. 20000 for year)	
5	Contingency for Miscellaneous items like for documentation (Printing of NRC documents-SAM chart, Discharge ticket, NRC register etc. photographs, photocopying, display board , Wall Painting, Internet connection, phone charges etc. Rs 12000 per year.	
6	Medicine and micro nutrient will be used from available govt. supply and drugs which are not available can be Locally purchased.	
B Cost for each follow up visits (For 4 Follow-ups)		
1	Food for children @ Rs. 40 per child/Follow-up	
2	Daily wage compensation for (food for caregiver Rs. 100 per caregiver/day)	

02— मानव संसाधन—

पोषण पुर्वासि केन्द्र पर कार्यरत संविदा/आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

02.1— संविदा चिकित्साधिकारी— New FMR Code-8.1.8.1 and old FMR Code-B.30.8.1 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी०एच०सी०, में संचालित एनोआरोसी० में कार्यरत प्रति इकाई ०१ चिकित्सा अधिकारी के अनुसार मानदेय हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- उक्त स्वीकृति के क्रम में 02 इकाईयों के 02 संविदा चिकित्सा अधिकारी का मानदेय प्रति चिकित्सा अधिकारी के लिये रु० 49,500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 32 इकाईयों के 32 संविदा चिकित्सा अधिकारी का मानदेय प्रति चिकित्सा अधिकारी के लिये रु० 45,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 44 इकाईयों के 44 संविदा चिकित्सा अधिकारी का मानदेय प्रति चिकित्सा अधिकारी के लिये रु० 45,000.00 प्रतिमाह की दर से 09 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

02.1.2 संविदा चिकित्साधिकारी (पी०बी०आई०)— New FMR Code-8.1.8.1 and old FMR Code-B.30.8.1 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी०एच०सी०, में संचालित एनोआरोसी० में कार्यरत प्रति इकाई ०१ चिकित्सा अधिकारी के अनुसार परफारमेन्स बेर्स्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) प्रदान किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- 1) 34 इकाईयों के 34 चिकित्सा अधिकारी राज्य स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुसार परफारमेन्स बेर्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) प्रदान किये जाने हेतु प्रति चिकित्सा अधिकारी को अधिकतम रु० 15,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 2) 44 इकाईयों के 44 चिकित्सा अधिकारी राज्य स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुसार परफारमेन्स बेर्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) प्रदान किये जाने हेतु प्रति चिकित्सा अधिकारी को अधिकतम रु० 15,000.00 प्रतिमाह की दर से 09 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

एन०आर०सी० के चिकित्सा अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार परफारमेन्स बेर्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) प्रदान किये जाने हेतु पृथक से राज्य स्तर से दिशा निर्देश प्रेषित किये जायेंगे।

2.2— संविदा स्टाफ नर्स New FMR Code- 8.1.8.2 and old FMR Code-B.30.8.2 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी०एच०सी० में संचालित एन०आर०सी० के लिये स्टाफ नर्सों के मानदेय हेतु आर०ओ०पी० में स्वीकृत के क्रम में पूर्व से कार्यरत 13 स्टाफ नर्सों के लिये प्रति स्टाफ नर्स को रु० 24016.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, 56 स्टाफ नर्सों के लिये प्रति स्टाफ नर्स को रु० 23015.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय तथा 237 स्टाफ नर्सों के लिये प्रति स्टाफ नर्स को रु० 21014.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2.3— संविदा फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट New FMR Code-8.1.8.5 and FMR Code-B.30.1.7.3 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी०एच०सी० में संचालित एन०आर०सी० के लिये फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट के मानदेय हेतु आर०ओ०पी० में स्वीकृति के क्रम में प्रति इकाई 01 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट पूर्व से कार्यरत 08 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट के लिये प्रति फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट को रु० 21829.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, 12 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट के लिये प्रति फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट को रु० 20920.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, 50 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट के लिये प्रति फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट को रु० 19101.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, 08 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट के लिये प्रति फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रीशनिस्ट को रु० 16500.00 प्रतिमाह की दर से 09 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2.4— कुक कम केयर टेकर (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)— New FMR Code-8.1.8.3 and old FMR Code-B.30.8.3 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी०एच०सी० में संचालित एन०आर०सी० के लिये पूर्व में डी०एचएस० से चयनित कुक कम केयर टेकर के मानदेय हेतु आर०ओ०पी० में स्वीकृति के क्रम में प्रति इकाई 02 कुक कम केयर टेकर के अनुसार पूर्व से कार्यरत 18 कुक कम केयर टेकर के लिये प्रति कुक कम केयर टेकर को रु० 9600.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, 21 कुक कम केयर टेकर के लिये प्रति कुक कम केयर टेकर को रु० 9200.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 95 कुक कम केयर टेकर के लिये प्रति कुक कम केयर टेकर को रु० 8000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय तथा 22 कुक कम केयर टेकर के लिये प्रति कुक कम केयर टेकर को रु० 8000.00 प्रतिमाह की दर से 06 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

2.5— सफाई कर्मी (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)— New FMR Code-8.1.16.7 & old FMR Code-B.30.8.5 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी०एच०सी० में संचालित एन०आर०सी० के लिये आर०ओ०पी० में स्वीकृति के क्रम प्रति इकाई 01 सफाई कर्मी (आउट सोर्सिंग) के अनुसार 78 इकाईयों के 78 सफाई कर्मियों के मानदेय हेतु प्रति सफाई कर्मियों को रु० 7500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

03—आशा/आगनवाडी (सन्दर्भन—प्रतिपूर्ति राशि)— गम्भीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition - SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने तथा फालोअप हेतु लाने पर आशा/आंगनवाडी को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 के New FMR Code-3.1.1.1.5 and old FMR Code-B.1.1.3.2.4 पर पोषण पुनर्वास केन्द्रों में Severe Acute Malnutrition-SAM बच्चों को सन्दर्भन प्रतिपूर्ति रु0 50/- प्रति बच्चे तथा 4 फॉलोअप कराने हेतु रु0 100/- इस प्रकार प्रति बच्चे कुल रु0 150/- की धनराशि आशा एवं आंगनवाडी को फालोअप/सन्दर्भन—प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी संलग्न तालिकानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों/जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालयों/सी0एच0सी0 को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

वर्ष 2018–19 में पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु एफ0एम0आर0 के विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

04—वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एन0आर0सी0 के लिये कुक कम केयर टेकर एवं सफाई कर्मी के पद यदि रिक्त हैं या नवीन पद हैं तो इन कर्मियों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जायेगा।

05—कार्य सम्बन्धी दिशानिर्देश—

पोषण पुनर्वास केन्द्र में नियुक्त मेडिकल ऑफीसर, स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट, केयर टेकर एवं कुक द्वारा उनके दायत्वों का निर्वाहन इस कार्यालय के पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2017–18/5042–70, दिनांक 21/08/2017 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना होगा।

06—कम्युनिटी-फैसिलिटी लिंकेज फॉर सैम

- कम्युनिटी-फैसिलिटी लिंकेज फॉर सैम का क्रियान्वयन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0/CH/NRC-Monit./33/2017–18/9262–75, दिनांक 04.12.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।
- सैम बच्चों के समुदाय एवं स्वास्थ्य इकाई पर सुचारू रूप से जांच एवं पोषण पुनर्वास केंद्र पर चिकित्सीय गंभीरता वाले सैम बच्चों के सन्दर्भन के लिए कम्युनिटी फैसिलिटी लिंकेज फॉर सैम स्ट्रेटेजी का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियां आयोजित की जानी हैं—
- पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHND) के दौरान आशा एवं ए0एन0एम0 द्वारा कुपोषित बच्चों की Severe acute Malnourished (SAM) की पहचान एवं चिन्हित SAM बच्चों के उपचार एवं प्रबन्धन के लिए निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर संदर्भन।
- स्वास्थ्य इकाई पर सैम बच्चों की चिकित्सीय जटिलताओं की मेडिकल अफीसर अथवा आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा जांच तथा चिकित्सीय गंभीरता वाले SAM बच्चों का पोषण पुनर्वास केंद्र पर संदर्भन।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अन्तर्गत ब्लाकों में मोबाइल हैल्थ टीम द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 4Ds (दोष, रोग, विकास में विलंब, स्वास्थ्य संबंधी कमियों) के लिये किया जा रहा है। टीम के चिकित्सकों द्वारा चिन्हित स्वास्थ्य दशाओं की पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप करने का दायित्व है। आर0बी0एस0के0 की मोबाइल टीम द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष में दो बार किया जा रहा है। आर0बी0एस0के0 की मोबाइल टीम द्वारा Severe Acute Malnutrition (SAM) बच्चों का पोषण पुनर्वास केन्द्रों में सन्दर्भन एवं भर्ती कराने में सहयोग प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
- इसके अतिरिक्त पोषण पुनर्वास केन्द्र से डिस्चार्ज हुए बच्चों का मासिक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHND) पर आशा एवं ए0एन0एम0 द्वारा नियमित फॉलोअप, जब तक बच्चे का MUAC 12.5 cm के बराबर या उससे अधिक न हो जाये।

6.1 : कम्युनिटी-फैसिलिटी लिंकेज फॉर सैम हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दायित्व

पोषण पुनर्वास केन्द्र में समुदाय से रिफरल बढ़ाये जाने हेतु कम्युनिटी फैसिलिटी लिंकेज स्ट्रेटजी के क्रियान्वयन के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन अपेक्षित है।

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगले तीन माह के भीतर सभी ब्लाक टीमों का एक उन्मुखीकरण हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र का भ्रमण करवाना सुनिश्चित करें।
- सामुदायिक स्तर पर की जाने वाली सैम की जांच, फॉलोअप एवं संदर्भन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना और ब्लॉक स्वास्थ्य इकाई स्तर पर सैम बच्चों का प्रबंधन एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र पर संदर्भन के लिए आवश्यक दवा एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- इसके अतिरिक्त कम्युनिटी फैसिलिटी लिंकेज फॉर सैम की मासिक रिपोर्ट का राज्य स्तर पर प्रेषण सुनिश्चित करवाना।

07- डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य एवं दायित्व-

- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में संचालित सिक न्यूबोर्न इकाईयों (SNCUs) में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा यदि जनपद के जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs) संचालित है तो इस इकाई में उपचारित बच्चों की भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक शनिवार को इन्ट्री एम०आई०एस० पर की जायेगी।

08-वित्तीय निर्देश-

1. जिन बिन्दुओं पर सी०ए०जी० ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी०ए०जी० की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटचूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेशियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्रत्येक माह एन०आर०सी० से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को समयबद्ध प्रेषित किया जाये।
8. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदाकर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
9. इस कार्यालय के पत्रसंख्या-एस०पी०एम०य०/एन०आर०एच०एम०/2012-13/लेखा/पी०एफ०एम० एस०/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

09- रिपोर्ट का प्रेषण -

पोषण पुनर्वास केन्द्रों की मासिक एवं त्रैमासिक भौतिक प्रगति वांछित प्रारूप पर आगमी माह की 05 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भेजी जाये अथवा इसकी एक सॉफ्टकॉपी ई-मेल-nrcstate@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाये। रिपोर्ट, तैयार करने की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट एवं स्टाफ नर्स की होगी। रिपोर्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भेजने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होगी।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर०सी०एच०, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मो०न० 8874819345 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के मो०न० 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

दिनांक / 08 / 2018

पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / CH/NRC / 18-4 / 2017-18 /

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त निदेशक, आर०सी०एच०, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
7. प्रधानाचार्य, एम०एल०एन०, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद / जी०एस०वी०एम०, मेडिकल कॉलेज कानपुर / बी०आर०डी०, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर / आर०एल०बी०, मेडिकल कॉलेज झॉसी।
8. विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, कोऑर्डिनेटर, एन०आर०सी० जे०एन० मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, एम० एल०एन०, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जी०एस०वी०एम०, मेडिकल कॉलेज कानपुर, बी०आर०डी०, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, आर०एल०बी०, मेडिकल कॉलेज झॉसी को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष / संयुक्त चिकित्सालय को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. प्रभारी / चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालबेहट, मेहरोनी, मढावरा, बिरघा, बार, जखोरा को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
11. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, बी-3 / 258, विशालखन्ड, गोमतीनगर, उ०प्र० लखनऊ।

(डा० अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19			Operational Cost	Medical Officer Honorarium						
S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	Old MO No. of MO	Old Medical Officer	Old MO @ Rs. 49500/- months for 12 months	PBI @ Rs. 45000/- months for 12 months	New/vacant MO @ Rs. 45000/- months for 12 months	PBI @ Rs. 15000/- month for 9 months	
			I							2
			New FMR Code							
			Old FMR Code							
1	Agra	1	DH Agra	780000	1	0	0	0	1	405000
2	Aligarh	2	MC Aligarh	780000	1	0	0	0	1	405000
3	Allahabad	3	MC Allahabad	780000	1	0	0	1	540000	135000
4	Ambedkar Nagar	4	DCH Ambedkar nagar	780000	1	0	0	0	1	405000
0	Amethi	0	Amethi	0	0	0	0	0	0	0
5	Amroha	5	DCH Amroha	780000	1	0	0	0	1	405000
6	Auraiya	6	DH Auraiya	390000	1	0	0	0	1	405000
7	Azamgarh	7	DH Azamgarh	780000	1	0	0	1	540000	180000
8	Baghpat	8	DH Baghpat	780000	1	0	0	0	1	405000
9	Bahraich	9	DH Bahraich	780000	1	0	0	1	540000	180000
10	Ballia	10	DH Ballia	780000	1	0	0	1	540000	180000
11	Balrampur	11	DH Balrampur	780000	1	0	0	1	540000	180000
12	Banda	12	DH Banda	780000	1	0	0	0	1	405000
13	Barabanki	13	DH Barabanki	780000	1	0	0	0	0	405000
14	Bareilly	14	DH Bareilly	780000	1	0	0	1	540000	180000
15	Basti	15	DH Basti	780000	1	0	0	1	540000	180000
16	Bijnor	16	DH Bijnor	780000	1	0	0	1	540000	180000
17	Budhaun	17	DH Budhaun	780000	1	0	0	0	1	405000
18	Bulandshahar	18	DH Bulandshahar	780000	1	0	0	1	540000	180000
19	Chandauli	19	DH Chakria	780000	1	0	0	1	540000	180000
20	Chitrakoot	20	DH Chitrakoot	780000	1	0	0	1	540000	180000
21	Deoria	21	DH Deoria	780000	1	0	0	0	1	405000
22	Etah	22	DH Etah	780000	1	0	0	1	540000	180000
23	Etawah	23	DH Etawah	780000	1	0	0	0	1	405000
24	Faizabad	24	DH Faizabad	780000	1	0	0	0	1	405000
25	Faujkhhabad	25	DH Farrukhabad	780000	1	1	594000	0	0	180000
26	Fatehpur	26	DH Fatehpur	780000	1	0	0	1	540000	180000
27	Firozabad	27	DH Firozabad	780000	1	0	0	0	1	405000
28	G B Nagar	28	CHC Bhangel	780000	1	0	0	1	540000	180000

15

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19				Operational Cost	Old MO @ Rs. 49500/- months for 12 months	Old MO @ Rs. 45000/- months for 12 months	Medical Officer Honorarium			New/vacant MO @ Rs. 45000/- months for 12 months	PBI @ Rs. 15000/- month for 9 months	Total Honorarium in Medical Officer
S.N.	District	SI.No.	Name of NRC				Old Medical Officer	No. of MO	PBI @ Rs. 15000/- month for 12 months			
1				1.3.1.4						2		
29	Ghaziabad	29	CHC Dasana	A.2.5						8.1.8.1		
30	Ghazipur	30	DH Ghazipur		780000	1	0	0	0	B.30.8.1		
31	Gonda	31	DH Gonda		780000	1	0	0	1			
32	Gorakhpur	32	MC Gorakhpur		780000	1	0	0	0			
33	Hamirpur	33	DH Hamirpur		780000	1	0	0	0			
0	Hapur	0	Hapur		780000	0	0	0	0			
34	Hardoi	34	DH Hardoi		780000	1	0	0	1			
35	Hathras	35	DH Hathras		780000	1	0	0	0			
36	Jalaun	36	DH Jalaun		780000	1	0	0	0			
37	Jaunpur	37	DH Jaunpur		780000	1	0	0	0			
38	Jhansi	38	MC Jhansi		780000	1	0	0	1			
39	Kannauj	39	DH Kannauj		780000	1	0	0	0			
40	Kanpur Dehat	40	DH Kanpur Dehat		780000	1	0	0	0			
41	Kanpur Nagar	41	MC Kanpur Nagar		780000	1	0	0	0			
42	Kasganj	42	DH Kasganj		780000	1	0	0	0			
43	Kaushambi	43	DCH Kaushambi		780000	1	0	0	0			
44	Kushi Nagar	44	DH Kushi Nagar		780000	1	0	0	0			
45	Lakhimpur Kheri	45	DH Lakhimpur Kheri		780000	1	0	0	0			
		46	DH Laiapur		780000	1	0	0	0			
47	CHC Madawara	47	CHC Madawara		780000	1	0	0	1			
48	CHC Mehranui	48	CHC Mehranui		780000	1	0	0	0			
49	CHC Tabehat	49	CHC Tabehat		780000	1	0	0	0			
50	CHC Bar	50	CHC Bar		780000	1	0	0	0			
51	CHC Birdha	51	CHC Birdha		780000	1	0	0	0			
52	CHC Jakhora	52	CHC Jakhora		780000	1	0	0	0			
47	Lucknow	53	DH Lucknow		780000	1	0	0	1			
48	Maharajganj	54	DH Maharajganj		780000	1	0	0	1			
49	Mahoba	55	DH Mahoba		780000	1	0	0	0			
50	Mainpuri	56	DH Mainpuri		780000	1	0	0	1			

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19

S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	Old Staff Nurse for 12 months	Old SNS @ Rs. 24016/- m for 12 months	Old Staff Nurse months	Old SNS @ Rs. 23015/- m for 12 months	Old Staff Nurse months	Old SNS @ Rs. 21014/- m for 12 months	Total Staff Nurses	Total Honorarium Staff nurse								
										3	3								
New FMR Code				8.1.8.2															
Old FMR Code				B.30.8.2															
1	Agra	1	DH Agra	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
2	Aligarh	2	MC Aligarh	0	0	2	552360	2	504336	4	1056696								
3	Allahabad	3	MC Allahabad	4	1152768	0	0	0	0	0	4								
4	Ambedkar Nagar	4	DCH Ambedkar nagar	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
0	Amethi	0	Amethi	0	0	0	0	0	0	0	0								
5	Amroha	5	DCH Amroha	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
6	Auraiya	6	DH Auraiya	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
7	Azamgarh	7	DH Azamgarh	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
8	Baghpat	8	DH Bagipat	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
9	Bahraich	9	DH Bahraich	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
10	Ballia	10	DH Ballia	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
11	Balrampur	11	DH Balrampur	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
12	Banda	12	DH Banda	0	0	2	552360	2	504336	4	1056696								
13	Barabanki	13	DH Barabanki	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
14	Bareilly	14	DH Bareilly	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
15	Basti	15	DH Basti	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
16	Bijnor	16	DH Bijnor	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
17	Budaun	17	DH Budaun	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
18	Bulandshahar	18	DH Bulandshahar	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
19	Chandauli	19	DH Chakia	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
20	Chitrakoot	20	DH Chitrakoot	0	0	3	828340	1	252168	4	1080708								
21	Deoria	21	DH Deoria	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
22	Etah	22	DH Etah	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
23	Etawah	23	DH Etawah	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
24	Faizabad	24	DH Faizabad	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
25	Farukkhabad	25	DH Farukkhabad	0	0	1	276180	3	756504	4	1032684								
26	Fatehpur	26	DH Fatehpur	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
27	Firozabad	27	DH Firozabad	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								
28	G B Nagar	28	CHC Bhangel	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672								

W

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19

S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	Staff Nurse Honorarium						Total Staff Nurses	Total Honorarium Staff nurse		
				Old Staff Nurse	Old SNS Rs. 24016/- m for 12 months	@ Old Staff Nurse	Old SNS @ Rs. 23015/- m for 12 months	Old Staff Nurse	Old SNS @ Rs. 21014/- m for 12 months				
3													
29	Ghazibabad	29	CHC Dasana	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
30	Ghazipur	30	DH Ghazipur	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
31	Gonda	31	DH Gonda	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
32	Gorakhpur	32	MC Gorakhpur	0	0	4	1104720	0	0	4	1104720		
33	Hamirpur	33	DH Hamirpur	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
0	Hapur	0	Hapur	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Hardoi	34	DH Hardoi	0	0	4	1104720	0	0	4	1104720		
35	Hathras	35	DH Hathras	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
36	Jalaun	36	DH Jalaun	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
37	Jaunpur	37	DH Jaunpur	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
38	Jhansi	38	MC Jhansi	0	0	3	828540	1	252168	4	10086720		
39	Kannauj	39	DH Kannauj	0	0	4	1104720	0	0	4	1104720		
40	Kanpur Dehat	40	DH Kanpur Dehat	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
41	Kanpur Nagar	41	MC Kanpur Nagar	0	0	1	276180	3	756504	4	1032684		
42	Kasganj	42	DH Kasganj	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
43	Kaushambi	43	DCH Kaushambi	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
44	Kushi Nagar	44	DH Kushi Nagar	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
45	Lakhimpur Kheri	45	DH Lakhimpur Kheri	0	0	4	1104720	0	0	4	1104720		
		46	DH Lalitpur	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672		
		47	CHC Madawara	2	576384	0	0	1	252168	3	828552		
		48	CHC Mehrauni	1	288192	2	552360	0	0	3	840552		
		49	CHC Talbedhat	3	864576	0	0	0	0	3	864576		
		50	CHC Bar	1	288192	2	552360	0	0	3	840552		
		51	CHC Birdha	1	288192	2	552360	0	0	3	840552		
		52	CHC Jakhora	1	288192	1	276180	1	252168	3	816540		
		47	Lucknow	53	DH Lucknow	0	0	0	4	1008672	4	1008672	
		48	Maharajganj	54	DH Maharajganj	0	0	3	828540	1	252168	4	10086720
		49	Mahoba	55	DH Mahoba	0	0	0	4	1008672	4	1008672	
		50	Mainpuri	56	DH Mainpuri	0	0	0	4	1008672	4	1008672	

New FMR Code

8.1.8.2

B.30.8.2



District wise Funds Allocation for NRC 2018-19				Staff Nurse Honorarium							
S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	Old Staff Nurse	Old SNS Rs. 240/- m for 12 months	@ Old Staff Nurse	Old SNS @ Rs. 230/- m for 12 months	Old Staff Nurse	Old SNS @ Rs. 210/- m for 12 months	Total Staff Nurses	Total Honorarium Staff nurse
3											
New FMR Code											
Old FMR Code											
8.1.8.2											
B.30.8.2											
51	Mathura	57	DH Mathura	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
52	Mau	58	DH Mau	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
53	Meerut	59	DH Meerut	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
54	Mirzapur	60	DH Mirzapur	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
55	Moradabad	61	DH Moradabad	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
56	Muzaffar Nagar	62	DH Muzaffar Nagar	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
57	Pilibhit	63	DH Pilibhit	0	0	3	828540	1	252168	4	1008672
58	Pratapgarh	64	DH Pratapgarh	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
59	Raebareli	65	DH Raebareli	0	0	3	828540	1	252168	4	1008672
60	Rampur	66	DH Rampur	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
61	Saharanpur	67	DH Saharanpur	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
62	Sambhal	68	DH Sambhal	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
63	Sant Kabir Nagar	69	DCH Sant Kabir Nagar	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
64	Sant Ravidas Nagar	70	DH Sant Ravidas Nagar	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
65	Shahjahanpur	71	DH Shahjahanpur	0	0	4	1104720	0	0	4	1104720
0	Shamali			0	0	0	0	0	0	0	0
66	Shravasti	72	DCH Shravasti	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
67	Siddharth Nagar	73	DH Siddharth Nagar	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
68	Sitapur	74	DH Sitapur	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
69	Sonbhadra	75	DH Sonbhadra	0	0	4	1104720	0	0	4	1104720
70	Sultanpur	76	DH Sultanpur	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
71	Ujjaino	77	DH Ujjaino	0	0	4	1104720	0	0	4	1104720
72	Varanasi	78	DH Varanasi	0	0	0	0	4	1008672	4	1008672
Total- (In Rs.)				13	3746496	56	15466080	237	59763816	306	78976392
Total- (In Lakh)				13	37.46	56	154.66	23.7	597.64	30.6	789.76

PNK

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19

S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	Old Feeding Demonstrator	Old FD @ Rs.21829/- month for 12 months	Old FD @ Rs.20920/- month for 12 months	Old FD @ Rs.19101/- month for 12 months	No. of new/vacant tFD	New/vacant FD @ Rs. 16500/- month for 9 months	Total No. of FD	Honorarium Feeding Demonstrator	
				Old Feeding Demonstrator	Old FD @ Rs.21829/- month for 12 months	Old FD @ Rs.20920/- month for 12 months	Old FD @ Rs.19101/- month for 12 months	No. of new/vacant tFD	New/vacant FD @ Rs. 16500/- month for 9 months	Total No. of FD	Honorarium Feeding Demonstrator	
New FMR Code												
1	Agra	1	DH Agra	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
2	Aligarh	2	MC Aligarh	1	261948	0	0	0	0	0	0	1
3	Allahabad	3	MC Allahabad	1	261948	0	0	0	0	0	0	1
4	Ambedkar Nagar	4	DCH Ambedkar nagar	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
0	Amethi	0	Amethi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Amroha	5	DCH Amroha	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
6	Auraiya	6	DH Auraiya	0	0	0	0	0	0	1	148500	1
7	Azamgarh	7	DH Azamgarh	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
8	Baghpat	8	DH Baghpat	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
9	Bahraich	9	DH Bahraich	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
10	Ballia	10	DH Ballia	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
11	Balrampur	11	DH Balrampur	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
12	Banda	12	DH Banda	0	0	1	251040	0	0	0	0	1
13	Barabanki	13	DH Barabanki	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
14	Bareilly	14	DH Bareilly	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
15	Basti	15	DH Basti	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
16	Bijnor	16	DH Bijnor	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
17	Budaun	17	DH Budaun	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
18	Bulandshahar	18	DH Bulandshahar	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
19	Chandauli	19	DH Chakia	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
20	Chitrakoot	20	DH Chitrakoot	0	0	1	251040	0	0	0	0	1
21	Deoria	21	DH Deoria	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
22	Etah	22	DH Etah	0	0	0	0	0	1	148500	1	148500
23	Etawah	23	DH Etawah	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
24	Faizabad	24	DH Faizabad	0	0	0	0	0	0	1	148500	1
25	Farrukhabad	25	DH Farrukhabad	0	0	1	251040	0	0	0	0	1
26	Fatehpur	26	DH Fatehpur	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
27	Firozabad	27	DH Firozabad	0	0	0	0	1	229212	0	0	1
28	G B Nagar	28	CHC Bhangel	0	0	0	0	1	229212	0	0	1

8.1.8.5
B.30.1.7.3

4

४

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19

S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	Old Feeding Demonstrator	Old FD @ Rs.21829/- month for 12 months	Old Feeding Demonstrator	Old FD @ Rs.20920/- month for 12 months	Old Feeding Demonstrator	Old FD @ Rs.19101/- month for 12 months	No. of new/vacant FD	New/vacant FD @ Rs. 16500/- month for 9 months	Total No. of FD	Total Honorarium			
				Old Feeding Demonstrator	Old FD @ Rs.21829/- month for 12 months	Old Feeding Demonstrator	Old FD @ Rs.20920/- month for 12 months	Old Feeding Demonstrator	Old FD @ Rs.19101/- month for 12 months	No. of new/vacant FD	New/vacant FD @ Rs. 16500/- month for 9 months	Total No. of FD	Total Honorarium			
New FMR Code				8.1.8.5												
Old FMR Code				B.30.1.7.3												
29	Ghaziabad	29	CHC Dasana	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
30	Ghazipur	30	DH Ghazipur	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
31	Gonda	31	DH Gonda	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
32	Gorakhpur	32	MC Gorakhpur	0	0	1	251040	0	0	0	0	1	251040			
33	Hamirpur	33	DH Hamirpur	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
0	Hapur	0	Hapur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	Hardoi	34	DH Hardoi	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
35	Hathras	35	DH Hathras	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
36	Jalaun	36	DH Jalaun	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
37	Jaunpur	37	DH Jaunpur	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
38	Jhansi	38	MC Jhansi	0	0	1	251040	0	0	0	0	1	251040			
39	Kannauj	39	DH Kannauj	0	0	1	251040	0	0	0	0	1	251040			
40	Kanpur Dehat	40	DH Kanpur Dehat	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
41	Kanpur Nagar	41	MC Kanpur Nagar	0	0	0	0	0	0	1	148500	1	148500			
42	Kasganj	42	DH Kasganj	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
43	Kaushambi	43	DCH Kaushambi	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
44	Kushi Nagar	44	DH Kushi Nagar	0	0	0	0	0	0	1	148500	1	148500			
45	Lakhimpur Kheri	45	DH Lakhimpur Kheri	0	0	1	251040	0	0	0	0	1	251040			
46	Lalitpur	46	DH Lalitpur	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
47	CHC Madawara	1	261948	0	0	0	0	0	0	0	0	1	261948			
48	CHC Mehrauli	1	261948	0	0	0	0	0	0	0	0	1	261948			
49	CHC Tabehat	0	0	1	251040	0	0	0	0	0	0	1	251040			
50	CHC Bar	1	261948	0	0	0	0	0	0	0	0	1	261948			
51	CHC Birdha	1	261948	0	0	0	0	0	0	0	0	1	261948			
52	CHC Jakhora	1	261948	0	0	0	0	0	0	0	0	1	261948			
47	Lucknow	53	DH Lucknow	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
48	Maharajganj	54	DH Maharajganj	0	0	1	251040	0	0	0	0	1	251040			
49	Mahoba	55	DH Mahoba	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			
50	Mainpuri	56	DH Mainpuri	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212			

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19

S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	Feeding Demonstrator Honorarium							Total Honorarium	No. of FD	Honourarium @ Rs. 1650/- month for 9 months
				Old Feeding Demonstrator	Old FD @ Rs.21829/- month for 12 months	Old FD @ Rs.20920/- Demonstrator	Old FD @ Rs.19101/- month for 12 months	No. of new/vacant FD	New/vacant FD @ Rs. 1650/- month for 9 months				
New FMR Code													
51	Mathura	57	DH Mathura	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
52	Mau	58	DH Mau	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
53	Meerut	59	DH Meerut	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
54	Mirzapur	60	DH Mirzapur	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
55	Moradabad	61	DH Moradabad	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
56	Muzaffar Nagar	62	DH Muzaffar Nagar	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
57	Pilibhit	63	DH Pilibhit	0	0	1	251040	0	0	0	0	1	251040
58	Pratapgarh	64	DH Pratapgarh	1	261948	0	0	0	0	0	0	1	261948
59	Raebareli	65	DH Raebareli	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
60	Rampur	66	DH Rampur	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
61	Saharanpur	67	DH Saharanpur	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
62	Sambhal	68	DH Sambhal	0	0	0	0	0	0	1	148500	1	148500
63	Sant Kabir Nagar	69	DCH Sant Kabir Nagar	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
64	Sant Ravidas Nagar	70	DH Sant Ravidas Nagar	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
65	Shahjahanpur	71	DH Shahjahanpur	0	0	1	251040	0	0	0	0	1	251040
0	Shamali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Shravasti	72	DCH Shravasti	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
67	Siddharth Nagar	73	DH Siddharth Nagar	0	0	0	0	1	148500	1	148500		
68	Sitapur	74	DH Sitapur	0	0	0	0	0	0	1	148500		
69	Sonbhadra	75	DH Sonbhadra	0	0	1	251040	0	0	0	0	1	251040
70	Sultanpur	76	DH Sultanpur	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
71	Ujjain	77	DH Ujjain	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
72	Varanasi	78	DH Varanasi	0	0	0	0	1	229212	0	0	1	229212
Total-(In Rs.)				8	2095584	12	3012480	50	11460600	8	1188000	78	17756664
Total-(In Lakh)				20.96		30.12		114.61		11.88		177.57	

4

B.30.1.7.3

Feeding Demonstrator Honorarium

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19

S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	No. of Old Cook cum Caretaker	Old Cook cum caretaker @ Rs. 9600/- month for 12 months	Old Cook cum caretaker @ Rs. 9200/- month for 12 months	No. of new Cook cum Caretaker @ Rs. 8000/- month for 12 months	No. of Vacant Cum Caretaker @ Rs. 8000/- month for 12 months	Cook cum caretake Honorarium		Total Honorarium Cook cum caretaker	
8.1.8.3												
1	Agra	1	DH Agra	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
2	Aligarh	2	MC Aligarh	1	115200	1	110400	0	0	0	0	225600
3	Allahabad	3	MC Allahabad	2	230400	0	0	0	0	0	0	230400
4	Ambedkar Nagar	4	DCH Ambedkar nagar	0	0	0	2	192000	0	0	0	192000
0	Amethi	0	Amethi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Amroha	5	DCH Amroha	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
6	Auraiya	6	DH Auraiya	0	0	0	0	0	0	2	96000	96000
7	Azamgarh	7	DH Azamgarh	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
8	Baghpat	8	DH Baghpat	0	0	0	1	96000	1	48000	2	144000
9	Bahraich	9	DH Bahraich	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
10	Ballia	10	DH Ballia	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
11	Balrampur	11	DH Balrampur	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
12	Banda	12	DH Banda	0	0	2	220800	0	0	0	2	220800
13	Barabanki	13	DH Barabanki	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
14	Bareilly	14	DH Bareilly	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
15	Basti	15	DH Basti	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
16	Bijnor	16	DH Bijnor	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
17	Budaun	17	DH Budaun	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
18	Bulandshahar	18	DH Bulandshahar	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
19	Chandauli	19	DH Chakia	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
20	Chitrakoot	20	DH Chitrakoot	0	0	2	220800	0	0	0	2	220800
21	Deoria	21	DH Deoria	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
22	Etah	22	DH Etah	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
23	Etawah	23	DH Etawah	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
24	Fairzabad	24	DH Fairzabad	0	0	0	0	0	2	96000	96000	
25	Farrukhabad	25	DH Farrukhabad	0	0	1	110400	1	96000	0	0	206400
26	Fatehpur	26	DH Fatehpur	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
27	Firozabad	27	DH Firozabad	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000
28	G B Nagar	28	CHC Bhangel	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19

S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	No. of Old Cum caretaker month for 12 months	Cook cum caretake		Honoraryum		Total Honoraryum	Total Cook cum caretaker
					Old Cook cum caretaker @ Rs. 9600/- month for 12 months	No. of Old Cook cum caretaker @ Rs. 9200/- month for 12 months	No. of new Cook cum caretaker @ Rs. 8000/- month for 12 months	No. of Vacant Cook Cum Caretaker @ Rs. 8000/- month for 6 month		
				5	8.1.8.3		B.30.8.3			
New FMR Code	Old FMR Code									
29 Ghaziabad	29 CHC Dasana	0	0	0	0	0	2	96000	2	96000
30 Ghazipur	30 DH Ghazipur	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
31 Gonda	31 DH Gonda	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
32 Gorakhpur	32 MC Gorakhpur	2	230400	0	0	0	0	0	0	230400
33 Hamirpur	33 DH Hamirpur	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
0 Hapur	0 Hapur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Hardoi	34 DH Hardoi	0	0	1	110400	1	96000	0	0	206400
35 Hathras	35 DH Hathras	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
36 Jalaun	36 DH Jalaun	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
37 Jaunpur	37 DH Jaunpur	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
38 Jhansi	38 MC Jhansi	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
39 Kannauj	39 DH Kannauj	0	0	2	220800	0	0	0	0	220800
40 Kanpur Dehat	40 DH Kanpur Dehat	0	0	0	0	1	96000	1	48000	144000
41 Kanpur Nagar	41 MC Kanpur Nagar	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
42 Kasganj	42 DH Kasganj	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
43 Kaushambi	43 DCH Kaushambi	0	0	0	0	2	192000	0	0	192000
44 Kushi Nagar	44 DH Kushi Nagar	0	0	0	0	0	2	96000	2	96000
45 Lakhimpur Kheri	45 DH Lakhimpur Kheri	0	0	1	110400	0	0	1	48000	158400
46	DH Lalitpur	2	230400	0	0	0	0	0	0	230400
47	CHC Madawara	0	0	0	0	0	2	96000	2	96000
48	CHC Mehrauni	2	230400	0	0	0	0	0	2	230400
49	CHC Talbehat	2	230400	0	0	0	0	0	2	230400
50	CHC Bar	2	230400	0	0	0	0	0	2	230400
51	CHC Birdha	2	230400	0	0	0	0	0	2	230400
52	CHC Takhora	1	115200	1	110400	0	0	0	2	225600
47	Lucknow	53	DH Lucknow	0	0	0	0	0	2	96000
48	Maharajganj	54	DH Maharajganj	0	0	2	220800	0	0	220800
49	Mahoba	55	DH Mahoba	0	0	0	2	192000	0	192000
50	Mainpuri	56	DH Mainpuri	0	0	0	2	192000	0	192000

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19

S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	Cook cum caretake Honararium					No. of new Cook Cum Caretaker @ Rs. 8000/- month for 12 month	No. of Vacant Cook cum Caretaker (Out Sourcing) month for 6 month	Total No. of Cook cum Caretaker	Total Honararium Cook cum caretaker							
				No. of Old caretaker @ Rs. 9600/- month for 12 months	Old Cook cum caretaker @ Rs. 9600/- month for 12 months	Old Cook cum caretaker @ Rs. 9200/- month for 12 months	New Cook cum Caretaker												
New FMR Code																			
Old FMR Code																			
51	Mathura	57	DH Mathura	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
52	Mau	58	DH Mau	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
53	Meerut	59	DH Meerut	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
54	Mirzapur	60	DH Mirzapur	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
55	Moradabad	61	DH Moradabad	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
56	Muzaffar Nagar	62	DH Muzaffar Nagar	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
57	Pilibhit	63	DH Pilibhit	0	0	1	110400	1	96000	0	0	2	206400						
58	Pratapgarh	64	DH Pratapgarh	2	230400	0	0	0	0	0	2	230400							
59	Raebareli	65	DH Raebareli	0	0	2	220800	0	0	0	2	220800							
60	Rampur	66	DH Rampur	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
61	Saharanpur	67	DH Saharanpur	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
62	Sambhal	68	DH Sambhal	0	0	0	0	0	0	2	96000	2	96000						
63	Sant Kabir Nagar	69	DCH Sant Kabir Nagar	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
64	Sant Ravidas Nagar	70	DH Sant Ravidas Nagar	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
65	Shahjahanpur	71	DH Shahjahanpur	0	0	2	220800	0	0	0	2	220800							
0	Shamali	72	DCH Shamali	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
66	Shrawasti	72	DCH Shrawasti	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
67	Siddharth Nagar	73	DH Siddharth Nagar	0	0	0	0	0	2	96000	2	96000							
68	Sitapur	74	DH Sitapur	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
69	Sonbhadra	75	DH Sonbhadra	0	0	2	220800	0	0	0	2	220800							
70	Sultanganj	76	DH Sultanganj	0	0	0	2	192000	0	0	2	192000							
71	Unnao	77	DH Unnao	0	0	1	110400	0	0	1	48000	2	158400						
72	Varanasi	78	DH Varanasi	0	0	0	0	0	0	2	96000	2	96000						
Total-(In Rs.)				18	2073600	21	2318400	95	9120000	22	1056000	156							
Total-(In Lakh)				20.74	23.18	95	91.20	10.56	145.68										

JK

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19

S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	No. of Cleaner (Outsourcing)	Cleaner Honoraryum @ Rs. 7500/month for 12 months	Cleaner Honoraryum	ASHA & AWW Incentive	Total funds Approved to DHS (Amount in Rs)
						6	7	
New FMR Code	Old FMR Code					8.1.16.7	3.1.1.1.5	
						B.30.8.5	B.I.1.3.2.4	
1 Agra	1	DH Agra	1	90000	18000	2857884	2857884	
2 Aligarh	2	MC Aligarh	1	90000	36000	2990244	2990244	
3 Allahabad	3	MC Allahabad	1	90000	36000	3271116	3271116	
4 Ambedkar Nagar	4	DCH Ambedkar nagar	1	90000	18000	2857884	2857884	
0 Amethi	0	Amethi	0	0	0	0	0	
5 Amroha	5	DCH Amroha	1	90000	36000	2875884	2875884	
6 Auraiya	6	DH Auraiya	1	90000	18000	2291172	2291172	
7 Azamgarh	7	DH Azamgarh	1	90000	36000	3055884	3055884	
8 Baghpat	8	DH Baghpat	1	90000	36000	2827884	2827884	
9 Bahraich	9	DH Bahraich	1	90000	36000	3055884	3055884	
10 Ballia	10	DH Ballia	1	90000	18000	3037884	3037884	
11 Balrampur	11	DH Balrampur	1	90000	36000	3055884	3055884	
12 Banda	12	DH Banda	1	90000	36000	2974536	2974536	
13 Barabanki	13	DH Barabanki	1	90000	18000	2837884	2857884	
14 Bareilly	14	DH Bareilly	1	90000	36000	3055884	3055884	
15 Basti	15	DH Basti	1	90000	36000	3055884	3055884	
16 Bijnor	16	DH Bijnor	1	90000	36000	3055884	3055884	
17 Budhaun	17	DH Badaun	1	90000	18000	2857884	2857884	
18 Bulandshahar	18	DH Bulandshahar	1	90000	36000	3055884	3055884	
19 Chandauli	19	DH Chakria	1	90000	18000	3037884	3037884	
20 Chitrakoot	20	DH Chitrakoot	1	90000	36000	3178548	3178548	
21 Deoria	21	DH Deoria	1	90000	18000	2857884	2857884	
22 Etah	22	DH Etah	1	90000	36000	2975172	2975172	
23 Etawah	23	DH Etawah	1	90000	36000	2875884	2875884	
24 Faizabad	24	DH Faizabad	1	90000	18000	2681172	2681172	
25 Farrukhabad	25	DH Farrukhabad	1	90000	36000	3170124	3170124	
26 Fatehpur	26	DH Fatehpur	1	90000	36000	3055884	3055884	
27 Firozabad	27	DH Firozabad	1	90000	36000	2875884	2875884	
28 G B Nagar	28	CHC Bhangel	1	90000	18000	3037884	3037884	

PN

S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	No. of Cleaner (Outsourcing)	Cleaner Honorarium	ASHA & AWW Incentive	Total funds Approved to DHS (Amount in Rs)
					Rs. 7500/month for 12 months		
	New FMR Code				6	7	
	Old FMR Code				B.30.8.5	Bl.1.3.2.4	
29	Ghaziabad	29	CHC Dasana	1	90000	18000	2761884
30	Ghazipur	30	DH Ghazipur	1	90000	18000	3037884
31	Gonda	31	DH Gonda	1	90000	36000	3055884
32	Gorakhpur	32	MC Gorakhpur	1	90000	36000	3032160
33	Hamirpur	33	DH Hamirpur	1	90000	36000	2875884
0	Hapur	0	Hapur	0	0	0	0
34	Hardoi	34	DH Hardoi	1	90000	36000	3166332
35	Hathras	35	DH Hathras	1	90000	18000	2857884
36	Jalaun	36	DH Jalaun	1	90000	36000	2875884
37	Jaunpur	37	DH Jaunpur	1	90000	18000	2857884
38	Jhansi	38	MC Jhansi	1	90000	36000	3149748
39	Kannauj	39	DH Kannauj	1	90000	36000	3022560
40	Kanpur Dehat	40	DH Kanpur Dehat	1	90000	18000	2809884
41	Kanpur Nagar	41	MC Kanpur Nagar	1	90000	36000	2819184
42	Kasganj	42	DH Kasganj	1	90000	36000	2875884
43	Kaushambi	43	DCH Kaushambi	1	90000	36000	2875884
44	Kushi Nagar	44	DH Kushi Nagar	1	90000	36000	2699172
45	Lakhimpur Kheri	45	DH Lakhimpur Kheri	1	90000	36000	2960160
	Lalitpur	46	DH Lalitpur	1	90000	36000	2914284
		47	CHC Madawara	1	90000	21600	2798100
		48	CHC Mehrauni	1	90000	21600	2764500
46	Lalitpur	49	CHC Talbehat	1	90000	21600	2777616
		50	CHC Bar	1	90000	21600	2764500
		51	CHC Birdha	1	90000	21600	2764500
		52	CHC Jakhora	1	90000	21600	2735688
47	Lucknow	53	DH Lucknow	1	90000	36000	2959884
48	Maharajganj	54	DH Maharajganj	1	90000	36000	3178548
49	Mahoba	55	DH Mahoba	1	90000	36000	2875884
50	Mainpuri	56	DH Mainpuri	1	90000	36000	3055884

No

District wise Funds Allocation for NRC 2018-19			Cleaner	Honorarium	ASHA & AWW Incentive	Total funds Approved to DHS (Amount in Rs)
S.N.	District	Sl.No.	Name of NRC	No. of Cleaner (Outsourcing	Honorarium @ Rs. 7500/month for 12 months	
				6	81,16.7	31,11.5
			New FMR Code	B.30.8.5	B1.1.3.2.4	
51	Mathura	57	DH Mathura	1	90000	36000
52	Mau	58	DH Mau	1	90000	36000
53	Meerut	59	DH Meerut	1	90000	36000
54	Mirzapur	60	DH Mirzapur	1	90000	36000
55	Moradabad	61	DH Moradabad	1	90000	36000
56	Muzaffar Nagar	62	DH Muzaffar Nagar	1	90000	36000
57	Pilibhit	63	DH Pilibhit	1	90000	36000
58	Pratapgarh	64	DH Pratapgarh	1	90000	36000
59	Raebareli	65	DH Raebareli	1	90000	36000
60	Rampur	66	DH Rampur	1	90000	36000
61	Saharanpur	67	DH Saharanpur	1	90000	36000
62	Sambhal	68	DH Sambhal	1	90000	18000
63	Sant Kabir Nagar	69	DCH Sant Kabir Nagar	1	90000	18000
64	Sant Ravidas Nagar	70	DH Sant Ravidas Nagar	1	90000	36000
65	Shahjahanpur	71	DH Shahjahanpur	1	90000	36000
0	Shamali			0	0	0
66	Shrawasti	72	DCH Shrawasti	1	90000	36000
67	Siddharth Nagar	73	DH Siddharth Nagar	1	90000	18000
68	Sitapur	74	DH Sitapur	1	90000	36000
69	Sonbhadra	75	DH Sonbhadra	1	90000	36000
70	Sultanpur	76	DH Sultanpur	1	90000	36000
71	Unnao	77	DH Unnao	1	90000	36000
72	Varanasi	78	DH Varanasi	1	90000	36000
Total- (In Lakh)			78	7020000	2397600	229126656
				70.20	23.98	2291.27

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

जनपद— आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कानुपर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, संतकबीर नगर, संतरविदास नगर, शाहजहांपुर, श्रवस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / CH/NRC / 18-4 / 2018-19 /

दिनांक 25/09/2018

विषय—जनपद / मेडिकल कालेज / सी०एच०सी०, स्तर पर पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु
जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि इस कार्यालय के पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / CH/NRC / 18-4 / 2017-18 / 5042-70, दिनांक 21/08/2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं। तदनुसार इकाईयों का संचालन किया जाना है।

वर्ष 2018-19 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन हेतु वित्त अनुभाग, एस०पी०एम०य०० से जारी पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / एन०एच०एम० / आपरेशनल गार्डलाइन / 2017-18 / 282 / 1041-2, दिनांक 08.05.2018 एवं पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / एन०एच०एम० / आपरेशनल गार्डलाइन / 2017-18 / 282 / 3344-2, दिनांक 03.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त पत्र के माध्यम से जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवटिंग की गयी है। इसी क्रम में बाल स्वास्थ्य अनुभाग से जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / CH/NRC / 18-4 / 2017-18 / 1779-71, दिनांक 28.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से 01 नवीन एन०आर०सी० के लिये 02 माह (अप्रैल 2018 से मई 2018) की धनराशि तथा पूर्व से क्रियाशील 77 पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के लिये आपरेशनल कास्ट, आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं संविदा/आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु विभिन्न मदों 04 माह (अप्रैल 2018 से जुलाई 2018) की धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार स्वीकृत की जा चुकी है।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० के विभिन्न मदों में जनपदों/मेडिकल कालेजों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रियाशील की जा रही इकाईयों के संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं संविदा/आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा तक व्यय किया जाना है। उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

01- ऑपरेशनल कास्ट-

- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० के New FMR Code-1.3.1.4 and old FMR Code-A.2.5 पर ऑपरेशनल कास्ट मद में पोषण पुनर्वास केन्द्र को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने हेतु औषधियों (चिकित्सालय में नियमित रूप से उपलब्ध औषधियों

इलाज के लिये उपलब्ध करायी जायेगी तथा एनोआरोसी० प्रोटोकाल के अनुसार यदि कोई औषधि उपलब्ध नहीं है तो नोडल अधिकारी की सलाह से आवश्यकतानुसार औषधि का क्रय किया जाये)

- मेडिकल कालेज के नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि EDL में उपलब्ध एनोआरोसी हेतु आवश्यक दवाओं की लिस्ट सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समय से उपलब्ध करायें। मेडिकल कॉलेजों को EDL के अन्तर्गत उपलब्ध दवाईयां एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को मेडिकल कालेजों में संचालित इकाइयों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आरोसी०एच०)/नोडल अधिकारी की होगी।
- कन्स्यूमेबल, भर्ती बच्चे के लिये आहार, मॉ/अभिभावक के लिये दैनिक भत्ता, कन्टीजेन्सी, उपकरणों के रखरखाव /मरम्मत आदि एवं बच्चे के फॉलोअप आदि का वहन तालिका-१ में दिये गये मानक के अनुसार व्यय किया जायेगा। ऑपरेशनल कास्ट मद हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

S. N.	Budget for NRCs (2018-19) Item	तालिका-१
A	Operational Cost (COST OF TREATING 20 CHILDREN PER MONTH)	
1	Food for children @ Rs. 75 per child/day	
2	Daily wage compensation Rs. 50 per day and Rs. 50 for caregiver's food per caregiver/day	
3	Contingency – Gas cylinder, Linen cleaning (Laundry) Phenyl, Soap, Mosquito repellent, Washing powder, etc @ Rs. 2000/month.	
4	Maintenance of equipments (based on actual expenditure)and/or Purchase of new Weighing Scale/Infantometer or other ward equipments (only if non-functional or non-repairable and with the consent of the state) (Rs. 20000 for year)	
5	Contingency for Miscellaneous items like for documentation (Printing of NRC documents-SAM chart, Discharge ticket, NRC register etc. photographs, photocopying, display board , Wall Painting, Internet connection, phone charges etc. Rs 12000 per year.	
6	Medicine and micro nutrient will be used from available govt. supply and drugs which are not available can be Locally purchased.	
B	Cost for each follow up visits (For 4 Follow-ups)	
1	Food for children @ Rs. 40 per child/Follow-up	
2	Daily wage compensation for (food for caregiver Rs. 100 per caregiver/day)	

02— मानव संसाधन—

पोषण पुनर्वास केन्द्र पर कार्यरत संविदा/आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

02.1— संविदा चिकित्साधिकारी— New FMR Code-8.1.8.1 and old FMR Code-B.30.8.1 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी०एच०सी०, में संचालित एनोआरोसी० में कार्यरत प्रति इकाई 01 चिकित्सा अधिकारी के अनुसार मानदेय हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- उक्त स्वीकृति के क्रम में 02 इकाईयों के 02 संविदा चिकित्सा अधिकारी का मानदेय प्रति चिकित्सा अधिकारी के लिये रु० 49,500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 32 इकाईयों के 32 संविदा चिकित्सा अधिकारी का मानदेय प्रति चिकित्सा अधिकारी के लिये रु० 45,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 44 इकाईयों के 44 संविदा चिकित्सा अधिकारी का मानदेय प्रति चिकित्सा अधिकारी के लिये रु० 45,000.00 प्रतिमाह की दर से 09 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

02.1.2 संविदा चिकित्साधिकारी (पी०बी०आई०)— New FMR Code-8.1.8.1 and old FMR Code-B.30.8.1 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी०एच०सी०, में संचालित एनोआरोसी० में कार्यरत प्रति इकाई 01 चिकित्सा अधिकारी के अनुसार परफारमेन्स बेर्स्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) प्रदान किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- 1) 34 इकाईयों के 34 चिकित्सा अधिकारी राज्य स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुसार परफारमेन्स बेर्स्ड इन्सेन्टिव (पी0बी0आई0) प्रदान किये जाने हेतु प्रति चिकित्सा अधिकारी को अधिकतम रु0 15,000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 2) 44 इकाईयों के 44 चिकित्सा अधिकारी राज्य स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुसार परफारमेन्स बेर्स्ड इन्सेन्टिव (पी0बी0आई0) प्रदान किये जाने हेतु प्रति चिकित्सा अधिकारी को अधिकतम रु0 15,000.00 प्रतिमाह की दर से 09 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

एन0आर0सी0 के चिकित्सा अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार परफारमेन्स बेर्स्ड इन्सेन्टिव (पी0बी0आई0) प्रदान किये जाने हेतु पृथक से राज्य स्तर से दिशा निर्देश प्रेषित किये जायें।

2.2— संविदा स्टाफ नर्स New FMR Code- 8.1.8.2 and old FMR Code-B.30.8.2 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 के लिये स्टाफ नर्सों के मानदेय हेतु आर0ओ0पी0 में स्वीकृत के क्रम में पूर्व से कार्यरत 13 स्टाफ नर्सों के लिये प्रति स्टाफ नर्स को रु0 24016.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, 56 स्टाफ नर्सों के लिये प्रति स्टाफ नर्स को रु0 23015.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय तथा 237 स्टाफ नर्सों के लिये प्रति स्टाफ नर्स को रु0 21014.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2.3— संविदा फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट New FMR Code-8.1.8.5 and FMR Code-B.30.1.7.3 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 के लिये फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट के मानदेय हेतु आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में प्रति इकाई 01 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार 78 इकाईयों के 78 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट पूर्व से कार्यरत 08 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट के लिये प्रति फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट को रु0 21829.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, 12 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट के लिये प्रति फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट को रु0 20920.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, 50 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट के लिये प्रति फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट को रु0 19101.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, 08 फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट के लिये प्रति फीडिंग डिमोन्स्ट्रेटर/न्यूट्रिशनिस्ट को रु0 16500.00 प्रतिमाह की दर से 09 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2.4— कुक कम केयर टेकर (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)— New FMR Code-8.1.8.3 and old FMR Code-B.30.8.3 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 के लिये पूर्व में डी0एचएस0 से चयनित कुक कम केयर टेकर के मानदेय हेतु आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में प्रति इकाई 02 कुक कम केयर टेकर के अनुसार पूर्व से कार्यरत 18 कुक कम केयर टेकर के लिये प्रति कुक कम केयर टेकर को रु0 9600.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, 21 कुक कम केयर टेकर के लिये प्रति कुक कम केयर टेकर को रु0 9200.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 95 कुक कम केयर टेकर के लिये प्रति कुक कम केयर टेकर को रु0 8000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय तथा 22 कुक कम केयर टेकर के लिये प्रति कुक कम केयर टेकर को रु0 8000.00 प्रतिमाह की दर से 06 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

2.5— सफाई कर्मी (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)— New FMR Code-8.1.16.7 & old FMR Code-B.30.8.5 पर जिला पुरुष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में संचालित एन0आर0सी0 के लिये आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम प्रति इकाई 01 सफाई कर्मी (आउट सोर्सिंग) के अनुसार 78 इकाईयों के 78 सफाई कर्मियों के मानदेय हेतु प्रति सफाई कर्मियों को रु0 7500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

03—आशा/आगनवाड़ी (सन्दर्भन—प्रतिपूर्ति राशि)— गम्भीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition - SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने तथा फालोअप हेतु लाने पर आशा/आंगनवाड़ी को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आरोओपी० के New FMR Code-3.1.1.1.5 and old FMR Code-B.1.1.3.2.4 पर पोषण पुनर्वास केन्द्रों में Severe Acute Malnutrition-SAM बच्चों को संदर्भन प्रतिपूर्ति रु० ५०/- प्रति बच्चे तथा ४ फॉलोअप कराने हेतु रु० १००/- इस प्रकार प्रति बच्चे कुल रु० १५०/- की धनराशि आशा एवं आंगनवाड़ी को फालोअप/सन्दर्भन—प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने हेतु संलग्न तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी संलग्न तालिकानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों/जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालयों/सी०एच०सी० को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

वर्ष 2018–19 में पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु एफ०एम०आर० के विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

04—वर्ष 2018–19 की आरोओपी० में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एन०आर०सी० के लिये कुक कम केर टेकर एवं सफाई कर्मी के पद यदि रिक्त हैं या नवीन पद हैं तो इन कर्मियों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जायेगा।

05—कार्य सम्बन्धी दिशानिर्देश—

पोषण पुनर्वास केन्द्र में नियुक्त मेडिकल ऑफीसर, स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट, केर टेकर एवं कुक द्वारा उनके दायत्वों का निर्वाहन इस कार्यालय के पत्र संख्या—एस०पी०एम०य००/CH/NRC/18-4/2017-18/5042-70, दिनांक 21/08/2017 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना होगा।

06—कम्युनिटी-फैसिलिटी लिंकेज फॉर सैम

- कम्युनिटी-फैसिलिटी लिंकेज फॉर सैम का क्रियान्वयन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या—एस०पी०एम०य००/CH/NRC-Monit./33/2017-18/9262-75, दिनांक 04.12.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।
- सैम बच्चों के समुदाय एवं स्वास्थ्य इकाई पर सुचारू रूप से जांच एवं पोषण पुनर्वास केंद्र पर चिकित्सीय गंभीरता वाले सैम बच्चों के संदर्भन के लिए कम्युनिटी फैसिलिटी लिंकेज फॉर सैम स्ट्रेटेजी का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियां आयोजित की जानी हैं—स्ट्रेटेजी का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियां आयोजित की जानी हैं—
- पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHND) के दौरान आशा एवं ए०एन०एम० द्वारा कुपोषित बच्चों की Severe acute Malnourished (SAM) की पहचान एवं चिन्हित SAM बच्चों के उपचार एवं प्रबन्धन के लिए निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर संदर्भन।
- स्वास्थ्य इकाई पर सैम बच्चों की चिकित्सीय जटिलताओं की मेडिकल अफीसर अथवा आर०बी०एस०के० टीम द्वारा जांच तथा चिकित्सीय गंभीरता वाले SAM बच्चों का पोषण पुनर्वास केंद्र पर संदर्भन।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अन्तर्गत ब्लाकों में मोबाइल हैल्थ टीम द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 4Ds (दोष, रोग, विकास में विलंब, स्वास्थ्य संबंधी कर्मियों) के लिये किया जा रहा है। टीम के चिकित्सकों द्वारा चिन्हित स्वास्थ्य दशाओं की पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप करने का दायित्व है। आर०बी०एस०के० की मोबाइल टीम द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष में दो बार किया जा रहा है। आर०बी०एस०के० की मोबाइल टीम द्वारा Severe Acute Malnutrition (SAM) बच्चों का पोषण पुनर्वास केन्द्रों में संदर्भन एवं भर्ती कराने में सहयोग प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
- इसके अतिरिक्त पोषण पुनर्वास केन्द्र से डिस्चार्ज हुए बच्चों का मासिक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHND) पर आशा एवं ए०एन०एम० द्वारा नियमित फॉलोअप, जब तक बच्चे का MUAC 12.5 cm के बराबर या उससे अधिक न हो जाये।

6.1 : कम्युनिटी-फैसिलिटी लिंकेज फॉर सैम हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दायित्व

पोषण पुनर्वास केन्द्र में समुदाय से रिफरल बढ़ाये जाने हेतु कम्युनिटी फैसिलिटी लिंकेज स्ट्रेटजी के क्रियान्वयन के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन अपेक्षित है।

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगले तीन माह के भीतर सभी ब्लाक टीमों का एक उन्मुखीकरण हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र का भ्रमण करवाना सुनिश्चित करें।
- सामुदायिक स्तर पर की जाने वाली सैम की जांच, फॉलोअप एवं संदर्भन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना और ब्लॉक स्वास्थ्य इकाई स्तर पर सैम बच्चों का प्रबंधन एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र पर संदर्भन के लिए आवश्यक दवा एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- इसके अतिरिक्त कम्युनिटी फैसिलिटी लिंकेज फॉर सैम की मासिक रिपोर्ट का राज्य स्तर पर प्रेषण सुनिश्चित करवाना।

07—डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य एवं दायित्व—

- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में संचालित सिक न्यूवोर्न इकाईयों (SNCUs) में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा यदि जनपद के जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCS) संचालित है तो इस इकाई में उपचारित बच्चों की भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक शनिवार को इन्ट्री एम०आई०एस० पर की जायेगी।

08—वित्तीय निर्देश—

1. जिन बिन्दुओं पर सी०ए०जी० ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी०ए०जी० की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबमित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेशियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्रत्येक माह एन०आर०सी० से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को सम्मिलित किया जाये।
8. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदाकर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
9. इस कार्यालय के पत्रसंख्या—एस०पी०एम०य०/एन०आर०एच०एम०/2012–13/लेखा/पी०एफ०एम० एस०/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

09- रिपोर्ट का प्रेषण -

पोषण पुनर्वास केन्द्रों की मासिक एवं त्रैमासिक भौतिक प्रगति वांछित प्रारूप पर आगमी माह की 05 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भेजी जाये अथवा इसकी एक सॉफ्टकॉपी ई-मेल-nrcstate@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाये। रिपोर्ट, तैयार करने की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट एवं स्टाफ नर्स की होगी। रिपोर्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भेजने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होगी।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर०सी०एच०, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मो०न० 8874819345 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के मो०न० 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

पत्र संख्या—एस०पी०एम०य०० / CH/NRC / 18-4 / 2017-18 / 6891-79/(2) दिनांक / 08 / 2018

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त निदेशक, आर०सी०एच०, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
7. प्रधानाचार्य, एम०एल०एन०, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद / जी०एस०वी०एम०, मेडिकल कॉलेज कानपुर / बी०आर०डी०, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर / आर०एल०बी०, मेडिकल कॉलेज झॉसी।
8. विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, कोऑर्डिनेटर, एन०आर०सी० जे०एन० मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, एम०एल०एन०, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जी०एस०वी०एम०, मेडिकल कॉलेज कानपुर, बी०आर०डी०, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, आर०एल०बी०, मेडिकल कॉलेज झॉसी को इस आश्य से प्रेषित कि जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष / संयुक्त चिकित्सालय को इस आश्य से प्रेषित कि जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. प्रभारी / चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालबेहट, मेहरानी, मढावरा, बिरघा, बार, जखोरा को इस आश्य से प्रेषित कि जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
11. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, बी-३ / 258, विशालखन्ड, गोमतीनगर, उ०प्र० लखनऊ।

AM

(डा० अनिल कुमार वर्मा)

महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

AM